International Journal of Literacy and Education

E-ISSN: 2789-1615
P-ISSN: 2789-1607
Impact Factor: 5.69
IJLE 2023; 3(1): 252-254
www.educationjournal.info
Received: 06-05-2023
Accepted: 07-06-2023

डॉ० ब्रज भूषण तिवारी
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
मारवाड़ी कॉलेज, तिलकामाँझी
भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर,
बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ० ब्रज भूषण तिवारी
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
मारवाड़ी कॉलेज, तिलकामाँझी
भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर,
बिहार, भारत

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में हिन्दी–अनुप्रयोग : संवाद एवं सहचिंतन

डॉ० ब्रज भूषण तिवारी

प्रस्तावना

'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा–ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ।।'[1]

किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए बैंकिंग प्रणाली का अक्षुण्ण योगदान आवश्यक होता है। बैंकों का कार्य–व्यापार केवल देश की अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं होता बल्कि यह सामाजिक–सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान के उत्थान का एक प्रबल कारक भी होता है। भारतीय बैंक लेन–देन, जमा या ऋण के माध्यम से लाभ अर्जित करनेवाला तंत्र–मात्र नहीं है, बल्कि यह समाज के गरीब, कमजोर तथा दलित वर्ग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के साथ–साथ उन्हें ऊँचा उठाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी हैं। दंगल झाल्टे के अनुसार 'भारतीय बैंकिंग प्रणाली आधुनिक भारतवर्ष के वित्तीय रूपबंध की प्रधान सूत्रधार तथा साख–व्यवस्था के अग्रणी संगठक के रूप में देश को सम्पूर्ण और प्रकारान्तर से सामाजिक संरचना का आधार स्तम्भ होने के साथ उज्ज्वल भविष्य का दीपस्तम्भ भी है।''[2] भारतीय बैंकिंग सेवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक नीतियों के अनुसरण में अपने लोकरक्षण सेवा कार्यों में पर्याप्त रूप से अपना प्रभाव एवं उपयोगिता स्थापित कर चुकी है।

आज पूरे देश में बैंकों का जाल फैला हुआ है और उस जाल का निरन्तर विकास भी हो रहा है सभी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ अपने सेवा विस्तार के द्वारा जनता के निकट पहुँचने की प्रतिस्पर्धा में एक–दूसरे से आगे निकलने को क्षेड़ में लगी हुई हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का मुख्य और मूल उद्देश्य भी आम जनता के पास जाकर उसका जीवन–स्तर ऊपर उठाने में सहायता करना है। 'बैंकीय संस्था और आम जनता में पारस्परिक संबंध स्थापित हो सके इसके लिए अन्य बातों के साथ–साथ सबसे प्रधान बात है, भाव और विचारों का आदान–प्रदान करनेवाली माध्यम–भाषा। ..... स्वभावतः किसी ऐसी भाषा की जरूरत पड़ती है जो बैंकीय संस्था को सर्वसाधारण के नज़दीक ला सके, उसका कारोबार बढ़ाने में सहायक हो सके।'[3] किसी भी देश को एक सम्पर्क सूत्र में केवल उस देश की अपनी राष्ट्रभाषा ही बाँध सकती है और ऐसी भाषा के माध्यम से ही प्रभावशाली ढंग से आम जनता के निकट पहुंचा जा सकता है। हिंदी हमारे देश की ऐसी ही सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हो रही है। हमारे देश में हिंदी बोलनेवाले, लिखनेवाले, पढ़नेवाले तथा समझनेवाले सर्वाधिक हैं। अतः भारतीय बैंकिंग प्रणाली में केवल हिंदी भाषा के माध्यम से ही भारत की जनता से प्रभावशाली सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

भारत सरकार की नीतियों के अनुसरण के बहाने बैंकों को अपने कारोबार में इजाफा करना सोने में सुगन्ध जैसा सिद्ध हो सकता है। हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग से बैंक जहाँ सरकार के द्वारा पुरस्कृत हो सकते हैं, वहीं अपने कारोबार का विस्तार करने में भी सक्षम हो सकते हैं। अतः बैंकों का दायित्व है कि वे हिंदी को अपने दैनिक कार्य–व्यापार का माध्यम बनाएँ। बैंकिंग प्रणाली में शताधिक वर्षों से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कामकाज करना कर्मचारियों की आदत सी बन गई है। आजादी के बाद बैंकों के भारत सरकार के अंतर्गत आ जाने के कारण उनका कामकाज राष्ट्रभाषा हिंदी में किया जाना अनिवार्य हो गया है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से आजादी के साठ वर्ष पूरे करने पर भी बैंकों में राष्ट्रभाषा हिंदी का अनुप्रयोग अनिवार्य नहीं हो पाया है। इसके लिए भारत सरकार की नीतियाँ और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था भी कम जिम्मेदार नहीं है।

१४ सितम्बर, १९४९ को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 'जिसे हम हिंदी या उच्च हिंदी कहते हैं, यह देवनागराक्षर में लिखी जाती है।'[4] भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४३ से ३५१ तक इसी के संबंध में चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद ३४३ में व्यवस्था की गई है कि 'संघ की राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप – 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तथा 0 प्रयुक्त होगा।'[5] किन्तु अनुच्छेद ३४३ (२) के अनुसार संविधान के लागू होने के समय से १५ वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी सरकारी परियोजना के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। किन्तु इस अवधि के पूरा होने से पूर्व ही सन् १९६३ ई० में संसद् द्वारा 'राजभाषा अधिनियम–१९६३' पारित करके

पन्द्रह वर्ष की समय–सीमा हटा दी गयी। इस अधिनियम में कहा गया है कि २६ जनवरी, १६६५ ई० के बाद भी यदि कोई अपने कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहे तो कर सकता है। इससे हिंदी–प्रयोग की प्रक्रिया शिथिल पड़ गयी। इसका स्पष्ट कारण यह था कि अंग्रेजी में काम करने के अभ्यस्त लोगों ने अपनी सुविधानुसार सम्पूर्ण बैंकिंग क्रिया– व्यापार अंग्रेजी में ही करना जारी रखा। अनुच्छेद ३४३ के खण्ड–३ के अनुसार कार्यालयी उपयोग में आनेवाले तथा कार्यालयों से जारी किए जानेवाले कुछ महत्त्वपूर्ण कागजातों का हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना अनिवार्य कर दिया गया। इसका सुखद परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजीपन के अभ्यस्त लोगों को हिंदी पर्याय की जानकारी यदा–कदा निरन्तर होने लगी। विषयवस्तु के अंग्रेजी रूप के साथ–साथ हिंदी रूप भी सामने आये। हिंदी–अनुप्रयोग में गति लाने के लिए सन् १६७६ ई० में राजभाषा नियम बनाए गये। इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरे भारतवर्ष को भाषा–स्तर पर तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया[6]: 'क क्षेत्र'– इसके अंतर्गत बिहार, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा दिल्ली राज्य हैं।

'ख क्षेत्र'– इसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा अंडमान और निकोबार आते हैं।

'ग क्षेत्र'– इसमें पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, असम, सिक्किम, गोआ, पाण्डिचेरी, अरुणाचलप्रदेश शामिल हैं।

इन तीनों क्षेत्रों में तमिलनाडु को शामिल नहीं किया गया है।

राजभाषा नियम 1976 का बैंकों के कामकाज पर भाषा के स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ा और 'खण्ड क' के राज्यों में हिंदी का प्रचार और प्रसार आज व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के बैंकों में अधिकांश कार्य हिंदी में संपादित हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में उन्हीं स्थितियों में अंग्रेजी का प्रयोग होता जहाँ हिंदी प्रयोग से उद्देश्य सिद्धि नहीं हो पाती। उदाहरण के रूप में सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करनेवाले ग्रामीणों से भरवाए जानेवाले प्रपत्र, शर्तनामे तथा अन्य कागजात हिंदी में होते हैं, परन्तु ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई–संबंधी कागजात अब भी अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि इनका संबंध अदालतों से जुड़ जाता है जहाँ अब भी अंग्रेजी का वर्चस्व है। इस संबंध में बैंक प्रशासन भी कम सचेत नहीं है। प्रत्येक बैंक में हिंदी अधिकारी और राजभाषा अधिकारी के पद पर योग्य व्यक्ति आसीन हैं और वे अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर भी रहे हैं। इनके द्वारा समय–समय पर गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करके कर्मचारियों में हिंदी प्रयोग के प्रति रुचि जाग्रत् की जाती है। आज स्थिति यह है कि बैंक कर्मचारी या अधिकारी किसी निजी कारण से अंग्रेजी को प्रमुखता देते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए हिंदी प्रयोग की पूरी स्वतंत्रता है।

भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी–संबंधी किए गए प्रावधान तथा 'राजभाषा अधिनियम– 1963' तथा 'राजभाषा नियम 1976' के अनुपालन को दृष्टि में रखकर भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सभी बैंकों में राजभाषा हिंदी के प्रभावी ढंग से प्रयोग किए जाने हेतु समय–समय पर अनेक आदेश तथा अनुदेश जारी किए हैं। इन आदेशों और अनुदेशों का पालन करना हर बैंकीय कर्मचारी और अधिकारी का कानूनी एवं नैतिक दायित्व है। अतः इन आदेशों और अनुदेशों के मुख्य अंशों का ज्ञान हमें भी होना चाहिये, तभी बैंकों में हिंदी–प्रयोग को प्रभावी बल मिलेगा। कुछ महत्त्वपूर्ण आदेश और निर्देश हैं [7, 8]:

1. बैंक के कामकाज में देवनागरी लिपि के साथ हिंदी का प्रयोग किया जाए और भारतीय अंको के अंतर्राष्ट्रीय रूप 1,2,3,4 आदि का ही प्रयोग किया जाए।
2. किसी भी राज्य, कार्यालय अथवा शाखा से प्राप्त हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से केवल हिंदी में ही दिए जाने चाहिये ।
3. बैंक कार्यालयों से जारी किए जानेवाले सभी पत्र–प्रपत्र द्विभाषी, अर्थात् अंग्रेजी–हिंदी– दोनों में होने चाहिये।
4. हिंदी में कार्य करने का अपेक्षित ज्ञान जिन बैंक कर्मचारियों को नहीं है, उन्हें नौकरी के समय में ही हिंदी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना बैंक का दायित्व है।
5. बैंक कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण और आशुलेखन के प्रशिक्षण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। न्यूनतम 25 प्रतिशत हिंदी–टाइप मशीन बैंक में उपलब्ध होनी चाहिए ।
6. सभी बैंक शाखाओं के पते अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी में भी पंजीकृत होना चाहिए। उनका नामपट्ट भी अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी में लिखा जाना चाहिए ।
7. समस्त खाताधरियों को उपलब्ध कराए जानेवाले सभी कागजात अंग्रेजी और हिंदी– दोनों भाषाओं में होना चाहिए।
8. 'क' क्षेत्र के राज्यों में स्थित सभी बैंकों और उनकी शाखाओं के पत्र–शीर्ष (लेटर हेड) पत्र– फलक (लेटर पैड) और लिफाफे आदि केवल हिंदी में मुद्रित होना अनिवार्य है।
9. यदि कोई बैंक कर्मचारी अपना समस्त कार्य हिंदी में करना चाहता है तो उसे इसकी पूरी छूट होनी चाहिए।
10. खाताधारियों द्वारा लिखे पत्रों, चेकों आदि को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा उससे संबंधित सभी पत्राचार भी हिंदी में ही होना चाहिये।
11. प्रत्येक बैंक शाखा में एक 'हिंदी अधिकारी' नियुक्त होना चाहिए जो हिंदी–प्रयोग के प्रसार में सहायता प्रदान करें।
12. राजभाषा नियम 1976 के परिनियम 12 के अनुसार सभी बैंकों और उनकी शाखाओं के प्रशासनिक प्रमुख की यह जिम्मेवारी होगी कि वहः

- यह सुनिश्चित करे कि 'राजभाषा अधिनियम' और राजभाषा नियम के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है।
- इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच–पड़ताल के उपाय करे ।

1. प्रत्येक शाखा में हिंदी प्रयोग संबंधी तख्ता लगाया जाना चाहिए, जैसे– 'हिंदी में लिखे–भरे चेक, फार्म आदि स्वीकार किए जाते हैं' आदि ।
2. बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी यदि अपना आवेदन–पत्र, मसौदा, ज्ञापन या स्पष्टीकरण हिंदी में प्रस्तुत करता है तो उसे शीघ्र स्वीकार किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से अंग्रेजी अनुवाद नहीं माँगा जाना चाहिए।
3. बैंकिंग प्रणाली में हिंदी–पत्राचार की गति को तेज करने और अधिकाधिक हिंदी–प्रयोग के लिए अधिकारियों–कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाना अनिवार्य है।

सभी बैंकों के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का यह दायित्व बनता है कि वे अपने हित के साथ–साथ सरकार की राजभाषा विषयक नीति के कार्यान्वयन के हित में इन आदेशों और अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करें। यह तभी सम्भव हो पाएगा, जब इसके लिए सामूहिक प्रयास किए जाएँ एवं अनुकूल वातावरण भी निर्मित किए जाएँ। 'कोई भी भाषा निरन्तर प्रयोग के द्वारा ही जीवन्त और प्रखर बनी रहती है।' [9]

बावजूद तमाम प्रयासों और परिस्थितियों के, बैंकिंग प्रणाली में हिंदी के प्रयोग के मार्ग में अनेक समस्याएँ भी हैं। प्रथमतः हमारे दिल–ओ–दिमाग से अंग्रेजी का व्यामोह अभी तक हट नहीं पाया है। शासन और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयुक्त होनेवाले अंग्रेजी शब्द सबके अभ्यास में रच–पच चुके हैं। निरक्षर और ग्रामीण जन भी 'चेक', 'क्लीयरिंग', 'काउंटर–पेमेन्ट' आदि शब्दों के जितने अभ्यस्त हैं, उतने 'समाशोधन', 'पटल', 'खाता', 'भुगतान' आदि शब्दों के नहीं।

बैंकिंग सेवा में नियुक्त होनेवाले अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति तक पहुँचने के लिए पग–पग पर अंग्रेजी माध्यम से पूछे जानेवाले प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी–माध्यम से देने पड़ते हैं। चयन करनेवाला आयोग अपना संलाप अंग्रेजी में ही करता है। अतः इस सेवा में पहुँचनेवाले व्यक्तियों को लगता है कि यहाँ अंग्रेजी–प्रयोग की अनिवार्यता है। अतः अंग्रेजी के प्रति इनका रुझान स्वाभाविक ही है। 'भारत में अंग्रेजी के आत्यन्तिक प्रयोग से मानवीय संसाधन तथा राष्ट्रीय प्रतिभा की बड़ी क्षति हुई है।' [10]

बैंक के कुछ खाताधारियों को भी इस बात का भ्रम होता है कि बैंक द्वारा प्रदत्त विविध सुविधाओं का लाभ अंग्रेजी–प्रयोग के बिना सम्भव नहीं है। वे हिंदी के अच्छे जानकार होते हुए भी अपना समस्त बैंकीय कार्य–व्यापार अंग्रेजी में करते हैं। हिंदी प्रयोग को वे हीनता का सूचक समझते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति भारतीय बैंकिंग प्रणाली में हिंदी के अनुप्रयोग में बाधक है।

बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकृत हो जाने से कर्मियों एवं उपभोक्ताओं को काल्पनिक निराशा हुई कि हिंदी माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा बैंकीय कार्यों का यथोचित निष्पादन सम्भव नहीं है। यह निराशा तो आज एक बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है।

बैंकिंग प्रणाली में हिंदी–प्रयोग की ये तमाम समस्याएँ उतनी वास्तविक नहीं, जितनी दिखाई देती हैं। यदि निष्ठापूर्वक और सच्चे संकल्प के साथ हम अपनी राजभाषा हिंदी का प्रयोग करें तो ये समस्याएँ थोपी हुई और कुण्ठित मन की प्रवृत्ति ही नजर आएँगी। कंप्यूटर में भी देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग कठिन नहीं रह गया है । 'अब तो जिस्ट – कार्डयुक्त पर्सनल कंप्यूटरों तथा जिस्ट टर्मिनल के साथ जीनिक्स पर आधारित पद्धतियों के लिए ऐसे पैकेज का विकास हो गया है जो वर्तमान आँकड़ों को काफी शुद्धता के साथ भारतीय भाषाओं में बदल सकता है।[11]

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में हिंदी–प्रयोग की जब चर्चा की जाती है तो हमारे सामने अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूपों को एक समस्या के रूप में परोसने का प्रयास किया जाता है। यह उचित नहीं है, क्योकि अंग्रेजी शब्दों के हिंदी–रूप सरल, सहज, सुमधुर और कर्णप्रिय भी होते हैं। आवश्यकतानुसार हमें अंग्रेजी शब्दावलियों को हिंदी के रूप में अपनाकर अपनी सहृदयता का परिचय देना चाहिए और हिंदी शब्दावलियों को अभ्यास के द्वारा हृदयंगम करना चाहिए। इसे हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं :

अंतरण – Divert;
चालू – Current;
अग्रेषण – Forward;
जमा पर्ची – Pay-in Slip;
अदा करना – To pay;
टोकन – Token;
अदत्त – Unpaid;
तुलना–पत्र – Balance sheet;
अदाता – Payee;
देय – Payable;
अनादृत – Dishonoured;
नकद – Cash;
अद्यतन – Up-to-Date;
नमूना हस्ताक्षर & Specimen sign;
अधिभार – Surcharge
प्रतिभूति – Security
अदायगी – Payment;
प्रबन्धक – Manager;
अभिलेख – Record;
प्रविष्टि – Entry;
अदाकर्ता बैंक – Payee Bank;
बचत – Saving;
आवर्त्ती – Recurring;
रसीद – Receipt;
उधार – Loan;
रेखित चेक–Crossed Cheque;
ऋण – Loan;
शाखा – Branch;
किस्त – Instalment;
समाशोधन – Clearing;
खाता–पन्ना – Ledger Folio;
साख–Credit;
कराधान – Taxation;
भुगतान किया – Paid;
खाता– Account;
विनिमय दर – Rate of exchange;
खजांची– Cashier;
समायोजन–Adjustment;
गणक – Teller;
भुगतान आदेश – Pay Order bR;kfn

इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी शब्दों और शब्दावलियों का भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग करना सहज ही नहीं, अपितु हमारी हीन–ग्रंथियों को दूर करने में सहायक भी है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के शब्दों में– 'हिंदी ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है, यह बात निर्विवाद सिद्ध है।' [12] इससे हमारा हृदय तो मुक्त होगा ही, हमारी आत्मा भी मुक्त होकर ज्ञान–दशा प्राप्त कर लेगी और हमारा सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकेगा। तमिलनाडु से उद्घोषित इस देववाणी का हमें सम्मान करना चाहिए– 'एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी'।[13] तो आइए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में हिंदी–प्रयोग का हम सामूहिक संकल्प लें और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की इन पंक्तियों को दोहराएँ :

'अंग्रेजी पढ़ि के जदपि, सब गुण होत प्रबीन ।
पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन ।।[14]

अन्त में हम कहना चाहेंगे कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पूर्ण रूप से हिंदी के प्रयोग होने पर ही 'भारत की भारती राष्ट्र के गौरव की वस्तु होगी।' [15]

सन्दर्भ सूची

1. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र : 'भारतेन्दु–ग्रंथावली', भाग–२
2. दंगल झाल्टे : 'बैंकों में हिंदी – पत्राचार, प्रेषण काउन्टर से'
3. डॉ० रामप्रकाश और डॉ० दिनेश गुप्त : 'प्रयोजनमूलक हिंदी : संरचना एवं अनुप्रयोग', पृ० 300
4. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी : 'हिंदी भाषा की उत्पत्ति (निबंध)
5. दंगल झाल्टे : 'बैंकों में हिंदी – पत्राचार', पृष्ठ– 14
6. वही, पृष्ठ– 17
7. डॉ० रामप्रकाश और डॉ० दिनेश गुप्त : 'प्रयोजनमूलक हिंदी : संरचना एवं अनुप्रयोग', पृष्ठ–302
8. दंगल झाल्टे : 'बैंकों में हिंदी – पत्राचार', पृष्ठ– 21
9. सुवास कुमार : 'हिंदी : विविध व्यवहारों की भाषा पृष्ठ– 64
10. प्रो० सूर्य प्रसाद दीक्षित और डॉ० योगेन्द्र प्रताप सिंह 'प्रयोजनपरक हिंदी', पृष्ठ–4
11. डॉ० कैलाश चन्द्र भाटिया : 'हिंदी भाषा', पृष्ठ– 168
12. महात्मा गाँधी : 1916 ई० में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण का अंश
13. हिंदी–पत्रिका, 1938 ई० : टेप्पाकुलम, त्रिचनापल्ली, तमिलनाडु
14. भारतेन्दु हरिश्चंद्र : 'भारतेन्दु ग्रंथावली', भाग–2
15. डॉ० बाबूराम सक्सेना : 'सामान्य भाषाविज्ञान', पृष्ठ–378